जे० डी० एफ०) का सृजन वर्ष 1986-87 में किया गया था । विशेष पटसन विकास निधि के कार्यान्वयन की प्रगति निम्नानुसार है :—

योजना का नाम	आवंटन (रु० करोड़)	रिलीज (रु० करोड़)
1	2	3
1. पटसन कृषि विकास कार्यक्रम	25.00	18.00
2. गोदामों और अन्य सुविधाओं के निर्माण के लिये भारतीय पटसन निगम को सहायता ।	10.00	2.00
3. उत्पाद विविधीकरण और अनुसंधान एवं विकास सहायता ।	10.00	8.35
4. पटसन उद्योग में कामगारों के लाभ के लिये योजनाएं :		
(क) श्रमिकों का पुनर्वासन	10.00	--
(ख) आधुनिकीकरण से जुड़ा श्रमिक पुनर्वासन	22.50	--
(ग) आधुनिकीकरण कार्यक्रम अपनाने वाली मिलों के कामगारों की भविष्य निधि/ई० एस० आई० के बकाया का आंशिक भुगतान ।	16.00	4.67
(घ) फ़ालतू कामगारों के लिये प्रशिक्षण और बैंक वित्त ।	5.00	--
	98.50	33.02
अर्थात्	100.00	

सरकार ने अभी हाल ही में विशेष पटसन विकास निधि के लोचशील पुनः नियोजन की अनुमति प्रदान की है ताकि इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं को और अधिक व्यावहारिक और मौलिक आवश्यकताओं के उन्मुख बनाया जा सके ।

(घ) और (ङ) सरकार ने एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति की स्थापना की थी जिसने सिफारिश की है कि पटसन क्षेत्र का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि विविधीकृत अन्त प्रयोगों में फाईबर के रूप में पटसन की पूरी संभाव्यता को मान्यता दी जाए। इस लिए पटसन क्षेत्र के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वह पटसन उपजाने वाले किसानों, मिल के कामगारों तथा इस फाइबर से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों के हितों के लिए पुनर्निर्माण कार्य शुरू करें । इस प्रकार के विविधीकरण से पटसन उद्योग की मूल्य वसूली में वृद्धि होगी और इसके फलस्वरूप पटसन फाइबर के लिए मांग बढ़ेगी जिससे किसानों को उपज के लिए और अधिक लाभप्रद कीमतें वसूल करने में सहायता मिलेगी। समिति ने सिफारिश की है कि विविधीकरण बढ़ाने के लिए मार्जिन धनराशि की सहायता दी जाए तथा सभी सम्बद्ध क्षेत्रों में सुचारू प्रबंध किए जायें ।